स्थापित -1982

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

अध्यक्ष

श्री शंकर यादव

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

10- 9430996453 / 8271191632

पटना-800005 (बिहार)

पंजीयन -97/82

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं०-2, थाना-बाइपास, पोस्ट-झाऊगंज, पटना-800006, मो०- 7543042345 महासचिव श्री राघवेन्द्र कुमार

बी॰आर॰ए॰बी॰यू॰, मुजफ्फरपुर मो॰- 9973358168

उपाध्यक्ष

सुबोध कुमार

पटना विश्वविद्यालय, पटना। मो०- 9835447023

१० सरोज कुमार सिंह

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। मो०- 9939745814



कोषाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम

ो॰ कुँ॰ सिंह विश्वविद्यालय, आरा। मो॰- 9931062586



संगठन मंत्री

ाँ० रविन्द्र कुमार मिश्र

तमेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। मो०- 8797275807

श्री सुरेश कुमार चौधरी

लकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर मो०- 9973542172

डॉ० राजेश्वर राय

ो.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा। मो०- 9431413716

श्री रंजन कुमार

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर मो.- 9472003662

श्री अमरनाथ पाठक

मगंध विश्वविद्यालय, बोधगया मो.- 8002497555



प्रवक्ता

श्री गौरव

बी.आर.ए.बी.यू. मुजफ्फरपुर मो०- 9123469271 मं २ - (जिंग) - प्रमान कार्म

01-

दिनांक 08 08 2019

सेवा में,

माननीय प्रधानसचिव महोदय, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) बिहार सरकार, पटना।


विषयः लिम्बत मांगों के क्रियान्वयन के संदर्भ में।

महाशय,

ma 18/19

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आग्रहपूर्वक सूचित करना है कि महासंघ द्वारा अपनी लिम्बत मांगों के पूर्ति के संदर्भ में विचारार्थ कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं इस संदर्भ में माननीय निर्देशिका महोदय जी के वार्ता भी हुआ किन्तु फलाफल आज तक शुन्य है। माननीय न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा मात्र एक समूह 'घ' का ही संशोधन पत्र पत्रांक 15/डी.-01.01.2009 अंश 11-79 दिनांक 09.01.2019 द्वारा निर्गत किया गया जबकि इसी समान वित्त विभाग का पत्र समूह 'ग' के ज्ञापांक 3ए-2 वे0पु0-18/2009-275 वि0 पटना दिनांक 08.01.2015 जो कि शिक्षा विभाग संलेख ज्ञापांक 15/डी. 03/2014-1123 दिनांक 05.08.06/2013 एवं मंत्री परिषद् की बैठक की कार्यवाही दिनांक 23 जूलाई, २०१३ शिक्षा विभाग क्र० सं० २८ में स्वीकृत की संशोधित का अधिसूचना आज तक निर्गत नहीं हो पाया है जिस आधार पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों को क्रमशः प्रशाखा पदाधिकारियों सहायकों का स्वीकृत ग्रेड पे रू० ४२००/- रूपांतरित करते हुए संचय रू० ४८००/- एवं रू० 4600/- में वेतन निर्धारण की सत्यापन वेतन निर्धारण कोषांग द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए आग्रह है संशोधित अधिसूचना निर्गत किया जाये। इसके अलावा निम्न महत्वपूर्ण मांग प्रस्तुत है:-

- द्वारा पारित अपील संख्या सर्वोच्च न्यायालय माननीय संख्या अद्भूत अवमाननावाद इसके क्या 263/2013 में न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पत्रांक 1163 दिनांक 20.06.2014 द्वारा सभी लिपिकों को धारित पदनाम दिनचर्या पर 4000-6000 स्वीकृत किया गया के अंनुसार 18.01.2013 तक दिनचर्या लिपिक पद नाम धारित कर्मियों को उक्त वेतनमान में भुगतान सुनिश्चित करते हुए षष्टम् एवं सप्तम का लाभ दिया जाये।
- 2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित न्यायादेश विभिन्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश महामहिम



कुलाधिपति एवं राज्य सरकारी के विभिन्न पत्रों के आलोक में विश्वविद्यालय कर्मियों को सचिवालय कर्मियों के सदृश्य वेतनमान के साथ एस०ए०पी०/एम०एस०पी० की लाभ पंचम एवं षष्टम् की विसंगति को दूर करते हुए बकाये स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जाये तथा सप्तम वेतनमान में भुगतान सुनिश्चित करते हुए सप्तम वेतनमान के अंतर राशि का एकमुश्त

विश्वविद्यालय शिक्षकों की भाँति विश्वविद्यालय कर्मियों का भी भुगतान किया जाये। सेवानिवृत की आयु सीमा 62 से 65 वर्ष किया जाये एवम् 3. आजतक राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना का परिनियम संसूचित नही किया जाय तथा कर्मियों पर व्यय राशि का आवंटन नई पेंशन योजना मद में नहीं किया गया है। इसलिए आज तक कार्यरत सभी कर्मियों को पूरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाय।

राज्य सरकार के कर्मियों के भांति विश्वविद्यालय कर्मियों को आवास/कार/स्वास्थ्य बीमा के प्रावधान के साथ अग्रिम ऋण राशि 4. 10,00,000/- का प्रावधान करते हुए लागू किया जाये।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना हेतु सचिवालय अथवा अगल-बगल में विश्वविद्यालय/बस पड़ाव के 5. भूमि/भवन आवंटित किया जाये।

अतएवं आग्रह है कि उपयुक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए लागू किया जाये, अधिसूचना निर्गत करने की कृपा की जाये एवम् सकारात्मक वार्ता हेतु महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल को बुलाने का भी कष्ट किया जाये ताकि सभी पहलूओं से आपको अवगत कराई जा सकें।

सादर समर्पित!

महासचिव